न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3025–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–7–2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, हरदा प्रकरण कमांक 2/अ–6–अ/2011–12.

दिनेश आत्मज देवीसिंह
निवासी ग्राम बम्हनगांव हरदा
तहसील व जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

रामेश्वर आत्मज रामचरन गूजर
निवासी ग्राम बम्हनगांव
तहसील व जिला हरदा .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल सिंह राजपूत, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, हरदा द्वारा पारित आदेश 26–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि बम्हनगांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 196/3, 196/4 एवं 197/1 कुल रकबा 1.586 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है और उत्तर में सर्वे नम्बर 197/2 रकबा 0.506 नंदलाल के नाम दर्ज है ।

उसके द्वारा उपरोक्त भूमियों का सीमांकन कराये जाने पर पटवारी द्वारा बताया गया कि मैप के अनुसार नक्शा त्रुटिपूर्ण है, अतः उसकी भूमि के संबंध में नक्शा संशोधित किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ-6-अ/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसील न्यायालय द्वारा नक्शे में संशोधन कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, हरदा को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजा गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 7-6-2013 को यह उल्लेख करते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि के चर्तुसीमा के भूमिस्वामी दिनेश पुत्र देवीसिंह तथा गोविंदराम पुत्र भीकाजी सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे हैं, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण में प्रतिवेदन पूर्व में लिखा जा चुका है, हितबद्ध पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है, अतः प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तद्नुसार प्रकरण अपर कलेक्टर, हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 26-7-2014 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को अनावेदक की भूमि का ईटीएसएम मशीन से कराये गये सीमांकन अनुसार तथा सांकेतिक चिन्हों के आधार पर मौका नक्शा प्रस्तावित किये जाने हेतु भेजा गया और निर्देश दिये गये कि तहसील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से नक्शा प्रस्तावित करें । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के आधार पर कलेक्टर नक्शा संशोधित नहीं कर सकते हैं । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा पारित अंतरिम आदेश पारित किया गया है, परन्तु उसका स्वरूप अंतिम आदेश जैसा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर नक्शा संशोधित कर आवेदक की भूमि अनावेदक को दे रहे हैं और आवेदक को नहर की शासकीय भूमि पर जाने का आदेश दे रहे हैं, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि नक्शे में ज्यादा है, जिसे संशोधित कर अपर कलेक्टर द्वारा दोनों को

उनके हिस्से के बराबर–बराबर भूमि दी गई है, जो कि न्यायिक कार्यवाही है । इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक स्वयं कह रहे हैं कि अपर कलेक्टर द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, अतः अंतिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अभी तहसीलदार से ग्राम बम्हनगांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 196/3, 196/4 एवं 197/1 रकबा 3.92 एकड़ का ईटीएसएम मशीन से कराये गये सीमांकन अनुसार मौका नक्शा का प्रस्ताव मांगा गया । अतः अभी अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा संशोधन के संबंध में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तर्कों को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है, तब उनके पास अपील का उपचार उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखा जाता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर